

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2020—कार्तिक 28, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 431 एफ-1-102-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, कुरवाई, जिला विदिशा के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 15, रैदास वार्ड (2) वार्ड क्र. 09, तलैया वार्ड (3) वार्ड क्र. 03, बागडी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 14, किदवाई वार्ड (2) वार्ड क्र. 01, गांधी वार्ड (3) वार्ड क्र. 02, नेहरु वार्ड (4) वार्ड क्र. 04, खारी बाबली वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	(1) वार्ड क्र. 03, बागडी वार्ड (2) वार्ड क्र. 15, रैदास वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 02, नेहरु वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 08, संत कबीर वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, राजेन्द्र वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, बजरिया वार्ड (4) वार्ड क्र. 05, आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-102-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 431-एफ 1-102-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Not. No. 431-F 1-102-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Caste and Women) of Rule, 1994 the Reservation of Wards for Nagar Parishad Kurwai, District Vidisha published as follows:—

No.	Reserved Wards for Category	Total Reserved Ward's	Name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of Wards Reserved for Schedule Caste.	03	(1) Ward No. 15, Raidas Ward (2) Ward No. 09, Talaiya Ward (3) Ward No. 03, Bagdi Ward
2	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe.	Nil	Nil
3	No. of Wards Reserved for other Backward Classes.	04	(1) Ward No. 14, Kidwai Ward (2) Ward No. 01, Gandhi Ward (3) Ward No. 02, Nehru Ward (4) Ward No. 04, Khaari Baavli Ward
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 03, Bagdi Ward (2) Ward No. 15, Raidas Ward
5	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women).	Nil	Nil
6	No. of Wards Reserved for Other Backward Classes (Women).	02	(1) Ward No. 01, Gandhi Ward (2) Ward No. 02, Nehru Ward
7	No. of Wards Reserved for (Other from S. No. 4, 5 and 6) (Women).	04	(1) Ward No. 08, Sant Kabir Ward (2) Ward No. 06, Rajendra Ward (3) Ward No. 13, Bajariya Ward (4) Ward No. 05, Aazad Ward.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

अधि. क्र. 432 एफ-1-401-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, बुधनी, जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 01, श्रीमति इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (3) वार्ड क्र. 15, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 11, सरदार पटेल वार्ड (2) वार्ड क्र. 14, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 03, अर्जुन वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र. 09, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (4) वार्ड क्र. 13, सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	02	(1) वार्ड क्र. 01, श्रीमति इंदिरा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 15, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड.	01	(1) वार्ड क्र. 14, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
6	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, अर्जुन वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 02, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, गुरुनानक वार्ड (3) वार्ड क्र. 10, नर्मदा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. एफ-1-401-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 432-एफ 1-401-2020-अठारह-3, दिनांक 19 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 19th November 2020

Not. No. 432-F 1-401-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of Wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Caste and Women) of

Rule, 1994, the Reservation of Wards for Nagar Parishad Budhni, District Sehore published as follows:—

No.	Reserved Wards for Category	Total Reserved Ward's	Name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of Wards Reserved for Schedule Caste.	03	(1) Ward No. 01, Smt. Indira Gandhi Ward (2) Ward No. 12, Maharani Laxmibai Ward (3) Ward No. 15, Dr. Ambedkar Ward
2	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe.	02	(1) Ward No. 11, Sardar Patel Ward (2) Ward No. 14, Chandrashekhhar Azad Ward
3	No. of Wards Reserved for other Backward Classes.	04	(1) Ward No. 03, Arjun Ward (2) Ward No. 06, Pt. Jawaharlal Nehru Ward (3) Ward No. 09, Dr. Rajendra Prasad Ward (4) Ward No. 13, Subhash Chandra Bose Ward.
4	No. of Ward Reserved for Schedule Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 01, Smt. Indira Gandhi Ward (2) Ward No. 15, Dr. Ambedkar Ward
5	No. of Wards Reserved for Schedule Tribe (Women).	01	(1) Ward No. 14, Chandrashekhhar Azad Ward
6	No. of Wards Reserved for Other Backward Classes (Women).	02	(1) Ward No. 03, Arjun Ward (2) Ward No. 06, Pt. Jawaharlal Nehru Ward
7	No. of Wards Reserved for (Other from S. No. 4, 5 and 6) (Women).	03	(1) Ward No. 02, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 04, Gurunanak Ward (3) Ward No. 10, Narmada Ward.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.